

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 20(101/127/16)लोसू/आकाशि/2005/ 800

दिनांक:- 9-7-2020

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय (सूचीनुसार),
राजस्थान।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2019 की सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 30-6-2020 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2019 (01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक) की वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र-1 एवं II तैयार कर उपलब्ध करवाने हेतु लिखा है।

इस संबंध में लेख है कि इस विभाग की आर.टी.आई. समन्वयक शाखा के पत्रांक 496 दिनांक 12-3-2020 (फोटोप्रति संलग्न है) के द्वारा आपको वार्षिक रिपोर्ट प्रपत्र-1 व II में भरकर 07 दिवस में उपलब्ध करवाने लिखा गया था, लेकिन निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों से सूचना आदिनांक तक अपेक्षित है :-


राजकीय महाविद्यालयों की सूची

1	कन्या सरवाड़	38	करेड़ा	75	पोकरण	112	धरियावाद
2	कन्या अजमेर	39	विधि बीकानेर	76	जैसलमेर	113	प्रतापगढ़
3	केकड़ी	40	डूंगर बीकानेर	77	कन्या पोकरण	114	छोटी सादड़ी
4	थानागाजी	41	बज्जू	78	भीनमाल	115	पीपलखूंट
5	आर.आर. अलवर	42	छत्तरगढ़	79	जालोर	116	कन्या प्रतापगढ़
6	राजगढ़ (अलवर)	43	बूंदी	80	आहौर	117	आमेट
7	कन्या बहरोड़	44	रावतभाटा	81	रानीवाड़ा	118	देवगढ़
8	लक्ष्मणगढ़	45	बेंगू	82	साचौर	119	नाथद्वारा
9	बांसवाड़ा	46	राजगढ़	83	झालावाड़	120	राजसमन्द
10	सज्जनगढ़	47	सुजानगढ़	84	मनोहरथाना	121	कुम्भलगढ़
11	कन्या बारा	48	कन्या चूरू	85	पिड़ावा	122	कन्या सवाईमाधोपुर
12	केलवाड़ा	49	कन्या राजगढ़ (चूरू)	86	चौमहला	123	बामनवास
13	बारा	50	कन्या दौसा	87	कन्या पीपाड़सिटी	123	बौली
14	छद्दा	51	बांदीकुई	88	बिलाड़ा	125	कन्या सार्दुलशहर
15	मांगरोल	52	दौसा	89	बालेसर	126	विधि श्रीगंगानगर
16	अटरू	53	कन्या सिकन्दरा	90	फलौदी	127	श्रीगंगानगर
17	कन्या बालोतरा	54	कन्या बांदीकुई	91	औंसिया	128	सूरतगढ़
18	कन्या बाड़मेर	55	विधि धौलपुर	92	बाप	129	अनूपगढ़
19	बाड़मेर	56	धौलपुर	93	शेरगढ़	130	करणपुर
20	बायतू	57	कन्या धौलपुर	94	दावड़ी	131	कन्या सीकर
21	सिवाना	58	वाड़ी	95	कन्या मगरा पूंजला	132	विधि सीकर
22	जौहटन	59	राजाखेड़ा	96	तिवरी मधानिया	133	विज्ञान सीकर
23	शिव	60	बसेड़ी	97	कन्या करौली	134	वाणिज्य सीकर
24	धोरीमन्ना	61	सैपंऊ	98	करौली	135	रेवदर
25	कन्या बयाना	62	सीमलवाड़ा	99	सपोटरा	136	कन्या टोंक
26	एम.एस.जे. भरतपुर	63	बिन्हीवाड़ा	100	मंडरायल	137	उनियारा
27	डीग	64	कन्या चौमू	101	कन्या कोटा	138	देवली
28	कांमा	65	बी.बी.डी. चिमनपुरा	102	कला कन्या कोटा	139	टोंक
29	नगर	66	कला चिमनपुरा	103	वाणिज्य कन्या कोटा	140	कन्या पीपलू
30	नदबई	67	कालाडेरा	104	कला कोटा	141	कन्या खैरवाड़ा
31	पहाड़ी	68	साँभर लेक	105	कनवास	142	कोटड़ा
32	दैर	69	विराटनगर	106	मेड़तासिटी	143	गोगुन्दा
33	उच्चैन	70	फागी	107	विधि नागौर	144	मावली
34	माण्डलगढ़	71	चाकसू	108	नागौर		
35	एम.एल.वी. भीलवाड़ा	72	जमवारामगढ़	109	जैतारण		
36	बिजौलिया	73	कन्या जयपुर	110	बाली		
37	जहाजपुर	74	कन्या जैसलमेर	111	रोहट		

9-7-2020

अतः शेष प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र-1 व 11 में तत्काल प्रभाव से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को इस विभाग की jdadmn.cce@gmail.com पर भिजवायें, जिसकी एक प्रति डॉ. के.एल. सिराधना, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक) कॉलेज शिक्षा, ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302015 के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम भिजवायें, ताकि सूचना संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर एवं सचिव, राजस्थान सूचना आयोग को भिजवाई जा सकें।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(संदेश नायक)
आयुक्त

क्रमांक :- एफ 20(101/127/20)लोसू/आकाशि/2005/800-801 दिनांक:- 9-7-2020

1 - प्रतिलिपि:- राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 5(1)शिक्षा-3/2019 दिनांक 30-6-2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

2. वेबसाइट पर अपलोड करें।


(डा. के.एल. सिराधना)

SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन समन्वयक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 20(101/127/20)लोसू/निकाशि/2005/ 496 दिनांक:- 12-3-2020

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय (विधि महाविद्यालयों सहित),
राजस्थान।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2019 की सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 20-1-2020 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2019 (1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक) की वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित प्रारूप-1 व प्रारूप-2 में भरकर राजस्थान सूचना आयोग को दिनांक 31-1-2020 तक भिजवाई जानी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दोनों प्रारूप की सूचना 07 दिवस में तैयार कर डा. के.एल. सिराधना, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक) कॉलेज शिक्षा, ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302015 के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस विभाग को भिजवायें।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय,.....
प्रारूप-1

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत निस्तारित आवेदन (समयावधि दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक) समयावधि वर्ष 2019

राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन (संख्या)			सूचना दी गई (संख्या)		अस्वीकृत	लम्बित	प्राप्त राशि (रूपयों में)
कुल	जिला मुख्यालय पर	अन्य	समयावधि में	समयावधि पश्चात्			
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट : कॉलम 1=2+3 एवं कॉलम 4+5+6+7=1

प्रारूप-2

सूचना का अधिकार एक्ट के तहत निस्तारित सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपीलों का निस्तारण (समयावधि दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक) समयावधि सत्र 2019

कुल प्राप्त अपीले (संख्या)	निस्तारित		लम्बित संख्या
	स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4

नोट : कॉलम 1=2+3+4

(प्रदीप कुमार बोस)

आयुक्त

क्रमांक :- एफ 20(101/127/20)लोसू/आकाशि/2005/ 496-499 दिनांक:- 12-3-2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस. परिसर, झालाना लिंक रोड, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017 को उनके पत्रांक प. 3(1)रा.सू.आ./वा.प्रति/2020/127 दिनांक 20-1-2020 के संदर्भ में
- राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 5(1)शिक्षा-3/2015 पार्ट दिनांक 31-1-2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
- विभागीय वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को वेबसाईट पर अपलोड करें।

(डा. के.एल. सिराधना)

SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन समन्वयक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।